न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(भरतपुर)

प्र0सं0, 250/2014,(जी.सी.एम.एस. न. 2014/00012) पीठासीन अधिकारीः— डॉ रवि कुमार गोयल (R.A.S.)

उनवान

1. भगवान सिंह पुत्र निहाल सिंह
2. मटरी पुत्र निहाल सिंह— मृतक
2/1. चन्द्रपाल पुत्र स्व. मटरी
2/2. ध्रुव सिंह पुत्र स्व. मटरी
2/3. राजेश कुमार पुत्र स्व. मटरी
2/4. गीता पुत्री स्व. मटरी
2/5. विरमा देवी पत्नी स्व. मटरी

जातियान जाट नि0जनूथर तहसील जनूथर(डीग)राज0

—वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग

—प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला-डीग (राज.)

दावा बावत उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 टि0 एक्ट,

निर्णय दिनांकः 09.07.2024

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 1438/0.52, 1395/0.30,1412/0.23, 1413/0.19, 1414/0.57, 1429/0.38, 1431/0.17, 1432/0.25, 1447/0.22,1448/0.69, 1449/0.25, 1451/0.22, 1452/0.18, 3351/0.25, 3352/0.15, 3353/0.10, 3359/0.02, 3362/0.72,वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर में स्थित है। विवादित वर्णित आराजी वादीगण की पैत्रिक व पैश्तैनी आराजी है जो वादीगण को उनके बुजुर्गो से प्राप्त हुई है विवादित आराजी पर पहले वादीगण के पूर्वज वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है रहकर काश्त कर रहे है। वादीगण द्वारा वादपत्र में यह भी दर्ज किया है कि उक्त आराजी वादीगण को उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई है। जिस पर पूर्व में उनके पूर्वज काबिज थे उनकी मृत्यु के बाद वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। अतः निवेदन है कि दावा वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 1438/0.52 के हिस्सा 1/39 का वादी संख्या 01 एवं हिस्सा 1/39 के वाहिस्सा वरावर वादी संख्या 02/1 लगायत 2/5 यानि हिस्सा 1/195, 1/195 के एवं खसरा नम्बरान 1438/0.52, 1395/0.30,1412/0.23, 1413/0.19, 1414/0.57, 1429/0.38, 1431/0.17, 1432/0.25, 1447/0.22,1448/0.69, 1449/0.25, 1451/0.22,

उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

1452/0.18, 3351/0.25, 3352/0.15, 3353/0.10, 3359/0.02, 3362/0.72, के हिस्सा 1/6का वादी संख्या 01 एवं हिस्सा 1/6 के व हिस्सा बरावर यानि हिस्सा 1/30, 1/30 के वादीगण संख्या 2/1 लगायत 2/5 खातेदार काश्तकार पर गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश फरमायें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0/तहसीलदार डीग ने अपने पत्रांकः एल.आर./2024/511 दिनांक 05.07.2024 से अपना जबाव पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बरान 1438/0.52, 1395/0.30,1412/0.23, 1413/0.19, 1414/0.57, 1429/0.38, 1431/0.17, 1432/0.25, 1447/0.22,1448/0.69, 1449/0.25, 1451/0.22, 1452/0.18, 3351/0.25, 3352/0.15, 3353/0.10, 3359/0.02, 3362/0.72,वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर में स्थित है में भगवान सिंह पुत्र निहाल सिंह,ध्रुव सिंह,राजेश,चन्द्रपाल पिस0 मटरी, विरमा पत्नी मटरी,गीता पुत्री मटरी जातियान जाट नि0 जनूथर हिस्सा मुताविक जमाबन्दी कब्जा काश्त है।

प्रति पेश की गई। वादीगण के दावा एवं प्रति0 के जबाव दावा के आधार पर निम्नांकित तनकी कायम की गईः—

1. आया वादीगण विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र में गैर खातेदार के स्थान पर अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सावित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है उससे प्रमाणित है कि आराजी खसरा नम्बरान 1438/0.52, 1395/0.30,1412/0.23, 1413/0.19, 1414/0.57, 1429/0.38, 1431/0.17, 1432/0.25, 1447/0.22,1448/0.69, 1449/0.25, 1451/0.22, 1452/0.18, 3351/0.25, 3352/0.15, 3353/0.10, 3359/0.02, 3362/0.72,वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर में स्थित है में भगवान सिंह पुत्र निहाल सिंह,ध्रुव सिंह,राजेश,चन्द्रपाल पिस0 मटरी, विरमा पत्नी मटरी,गीता पुत्री मटरी जातियान जाट नि0 जनूथर हिस्सा मुताविक जमाबन्दी कब्जा काश्त है। जबकि वादीगण को गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है। उक्त आराजी उनकी खातेदारी की होना प्रमाणित है। वादीगण द्वारा अपने कब्जे को सावित करने के लिए सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड पेश किया गया। जिसमें सम्बत 2008 की जमाबन्दी,नकल जमाबन्दी सम्बत 2065—68,नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी सम्बत 2003, नकल जमाबन्दी सम्बत 2013—16,नकल जमाबन्दी सम्बत 2073—76,नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2069—72 पेश किये गये। खसरा गिरदावरी सम्बत 2069—72 जिसमें वादीगण द्वारा बोई हुई जिंस दर्ज है। जिससे वादीगण का वर्णित आराजी पर लगातार कब्जा होना प्रमाणित है। अतः

उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण का वाद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से सावित होना प्रतीत है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत बहस, तहसीलदार डीग की रिपोर्ट/जबाव, बयानात के आधार पर हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 टि0 एक्ट, को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :–

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर **स्वीकार** किया जाता है। आ.ख.नम्बरान 1438/0.52, 1395/0.30,1412/0.23, 1413/0.19, 1414/0.57, 1429/0.38, 1431/0.17, 1432/0.25, 1447/0.22,1448/0.69, 1449/0.25, 1451/0.22, 1452/0.18, 3351/0.25, 3352/0.15, 3353/0.10, 3359/0.02, 3362/0.72,वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर पर वादीगण को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार डीग राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही से पूर्व यह सुनिश्चित करलें कि वादीगण पर कोई नियमानुसार राजकीय शुल्क तो बकाया नहीं है,अगर राजकीय शुल्क बकाया हो तो सम्बन्धित वादीगण से नियमानुसार शुल्क/राशि जमा राजकोष कराई जाकर ही वर्णित आराजी का राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

Ravi

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Ravi

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी * डीग (जिला डीग) (राज.)

Scanned with OKEN Scanner